न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 21/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/25

| | | |
|---|---|---|
| राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज) | बनाम | अभियुक्त :– श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र केसरीमल जी जैन मैसर्स – जैन रेस्टोरेन्ट एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स, पुराना बस स्टेण्ड, गनोडा, बॉसवाडा। |

## अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

### निर्णय

दिनांक 09.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 12–04–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 11–01–2022 को 3.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **जैन रेस्टोरेन्ट एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स, पुराना बस स्टेण्ड, गनोडा, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री **नरेन्द्र कुमार पुत्र केसरीमल जी जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर स्टील ट्रे में **लगभग 5 किलोग्राम खोया** आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **आम जनता को बिक्री हेतु रखा करीब 5 किलोग्राम खोया मे से एक किलोग्राम** बारते नमुना जॉच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील के भगोने में खरीदा तथा इनकी कीमत 300 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **एक किलोग्राम खोया** को चार साफ खाली कॉच की चौडे मुह की शीशी में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर फार्मेलीन की 20–20 बूंद प्रत्येक में डालकर शीशी का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टा[illegible]कर नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से [illegible] की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जॉच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य [illegible] एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.10 16:37:40 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/35–36 दिनांक 12.02.2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 51 दिनांक 21.01.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **खोया** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा सब स्टेण्डर्ड पाये गये **खोया** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13–04–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 09.05.2022 को अभियुक्त **श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र केसरीमल जी जैन** ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/35–36 दिनांक 12.02.2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 51 दिनांक 21.01.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **खोया** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा [illegible] की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया **खोया** को [illegible] एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की [illegible] उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन कि[illegible] है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र केसरीमल जी जैन मैसर्स – जैन रेस्टोरेन्ट एण्ड कोल्ड**

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.10 16:37:40 IST
Reason: SelfAttested

ट्रिक्स, पुराना बस स्टेण्ड, गनोडा, बाँसवाडा को 20,000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

( नरेश बुनकर )
न्यायनिर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बाँसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.10 16:37:40 IST
Reason: SelfAttested